कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, झुंझुनूं (राज0)

क्रमांक/स्थापना/2024/13382 दिनांक :– 21/12/2024

कार्यालय आदेश

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी विज्ञापन संख्या रा.उ.न्या.जो./परीक्षा प्रकोष्ठ/क.न्या.स. एवं लिपिक ग्रेड–।।/2022/2248 दिनांक 05.08.2022, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के पत्र क्रमांक G/I/A-4(i)(a)/88/22/536 दिनांक 16.08.2023 एवं क्रमांक G/I/A-4(i)(a)/88/22/1267 दिनांक 20.12.2024 व राजस्थान जिला न्यायालय मंत्रालयिक कर्मचारी संस्थान नियम, 1986 (यथासंशोधित नियम) एवं इस सम्बन्ध में राज्य सरकार तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्रों के अधीन दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर प्रथमतः 06 माह के लिये राजस्थान सिविल सेवाएं (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2017 में लिपिक ग्रेड –।। के पद पर अस्थायी तौर पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छः माह/दो वर्ष की अवधि के लिये राज्य सरकार के परिपत्र संख्या एफ. 15 (1) एफ.डी. (नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार 14600/– रूपये मासिक नियत (फिक्स) पारिश्रमिक पर झुंझुनूं न्यायक्षेत्र में नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

क्र.स.	नाम अभ्यार्थी	जन्मतिथि	मैरिट नम्बर	रोल न.	लिंग	श्रेणी	मोबाईल नम्बर	मेल आईडी
1.	श्रीमती ममता गोयल	31.12.1996	NTSP_W_65	168681	महिला	ओ.बी.सी.	8955184001	goyalchandrakala58@gmail.com
2.	श्री विजय आर्य	19.05.1993	NTSP_W_71	161998	पुरूष	एस. सी.	9529965964	vijaykaraya@gmail.com

1. सभी नियुक्तियॉ कनिष्ठ न्यायिक सहायक/कनिष्ठ सहायक/लिपिक ग्रेड–।। की संयुक्त परीक्षा– 2022 के सम्बन्ध में माननीय Apex Court व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रिट याचिकाओं एवं विधिक कार्यवाही के निर्णायाधीन रहेंगी।
2. प्रथम छः माह की अवधि में कार्य व्यवहार संतोषप्रद नहीं होने पर किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के नवनियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
3. प्रथम छः माह में कार्य संतोषजनक पाये जाने पर परीवीक्षाकाल एक साथ या समुचित अन्तराल पर दो वर्ष तक बढ़ाया जावेगा। पूरे परीवीक्षाकाल में कार्य व व्यवहार संतोषप्रद होने पर उपरोक्त वेतनमान (पे – मेट्रिक्स) में न्यूनतम देय वेतन नियत किया जावेगा।
4. अभ्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत सभी प्रमाण पत्रों के सम्बन्धित संस्थाओं के सत्यापन के अधीन अस्थाई नियुक्ति दी गई है। सत्यापन में कोई भी दस्तावेज या सूचना मिथ्या पाई गई तो बिना पूर्व सूचना के सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।
5. पुलिस सत्यापन हेतु प्रस्तुत की गयी सूचनायें या सत्यापन सही नहीं पाये जाने पर या उसके पूर्व का आचरण व व्यवहार प्रतिकूल पाये जाने पर बिना नोटिस दिये सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
6. अभ्यर्थी द्वारा राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेशों के अधीन चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण के सम्बन्ध में राज्य सरकार/माननीय उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्र लागू होगें।
7. राज्य सरकार या माननीय उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्र के अधीन पेंशन योजना लागू होगी।
8. इस आदेश की प्राप्ति के सात दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा यह माना जावेगा कि सम्बन्धित अभ्यर्थी नियुक्ति का इच्छुक नहीं है एवं उस सूरत में उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
9. नव नियुक्त अभ्यर्थीगण पर राज्य सरकार एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय – समय पर जारी परिपत्र, सेवा नियम एवं आचरण नियम लागू होगें।
10. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 10 के तहत सेवा में योग्य होने का सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

21/12/24

(दीपा गुर्जर)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
झुंझुनूं

Cont...2